347

श्री एस० के० श्रीवास्तव, अभि०
द्वारा आज दि. 7-6-12 को
प्रस्तुत
7-6-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

S.K. Shrivastava
7-6-12

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१२ पुनरीक्षण - 1664-II/12

रामसेवक पुत्र श्री मैयालाल यादव,
निवासी ग्राम बेवना, तेहसील पृथवीपुर,
जिला टीकमगढ़(म०प्र०) --- आवेदक

बनाम

१) नारायणसिंह पुत्र गन्ढोले यादव,
२) हन्नू पुत्र मैयालाल यादव,
३) प्रभू ~~पु०~~ छोटेलाल पुत्र सुम्मी यादव,
४) मु० राजकुमारी बेवा श्रीपति यादव,
५) मनका कल्लू पुत्र श्रीपति यादव,
६) मगोने पुत्र प्यारेलाल यादव, मृत)
वारिस सरनाम मेहरवान, सुन्दर पुत्रगण मगोने
७) राजाराम पुत्र मुन्नालाल ब्राह्मण,
समस्त निवासीगण ग्राम बेवना, तेहसील पृथवीपुर,
जिला टीकमगढ़ (म०प्र०)

--- अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता १९५९ विरुद्ध आदेश दिनांक १८ फरवरी २००८ पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक ६६/निगरानी/२००७-०८ बउनवान राजाराम आदि बनाम नारायणसिंह व प्रकरण क्रमांक अ-६अ/११-१२ दि० २८-५-२०१२ ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्नलिखित प्रस्तुत है-

संक्षिप्त तथ्य :

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग- 1664-दो/2012 जिला-टीकमगढ़

रामसेवक विरूद्ध नारायण सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 3. यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला-टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 69/निग./2007-08 में पारित आदेश दिनांक 18-02-2008 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 07-06-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही	

पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 07/01/19
सदस्य